



क्रमांक: 11317 / अका. / 2013

रायपुर, दिनांक: 23/07/2013

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.06.2013 में अध्यक्ष के अनुमति से प्रकरण क्रमांक 03 पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

“मास्टर आफ सोशल वर्क (M.S.W.) को अध्यादेश 170 में शामिल करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव को समन्वय समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2013 में अनुमोदन किया गया। अतः निर्णय लिया गया कि सत्र 2012-13 में M.A. (Social Work) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मास्टर ऑफ सोशल वर्क (M.S.W.) की उपाधि प्रदान किया जावे। जिन महाविद्यालयों को एम.एस.डब्ल्यू पाठ्यक्रम की सम्बद्धता मिली है उन्हें भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जावे। चूँकि M.A. (Social Work) एवं M.S.W. के पाठ्यक्रम समान है, अतः एम.ए. (सोशल वर्क) में उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए, समतुल्यता के संबंध में, अधिसूचना जारी किया जावे।”


कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 11318 / अका. / 2013

रायपुर, दिनांक: 23/07/2013

प्रतिलिपि :

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
04. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
05. अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
06. समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
07. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
08. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
09. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)